भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3674

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2023 को दिया जाना है।

.....

मलजल शोधन संयंत्रों से बिजली का करंट लगने से मृत्यु

3674. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री प्रतापराव जाधव:

श्री बिद्धुत बरन महतो:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर नमामि गंगे परियोजना के मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी) के स्थल पर बिजली का करंट लगने से कई लोगों की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी भयावह घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त घटना में घायल हुए और मारे गए लोगों के निकट संबंधियों को कोई वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए किसी जांच का आदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश भर में जल विद्धुत स्थलों पर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ङ): चमोली, उत्तराखंड में 50 केएलडी एसटीपी में दिनांक 19.07.2023 को करंट लगने की दो घटनाएं हुईं, जिनमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के स्थल पर 4 पुलिस अधिकारियों सहित 16 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। यह एसटीपी दिनांक 29.03.2017 को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वीकृत किया गया था और निर्माण पूरा होने के बाद, संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए दिनांक 23.09.2019 को उत्तराखंड पेयजल निगम (यूपीजेएन) को सौंप दिया गया था, जिसने इसे अगले 13 वर्षों के लिए अपने संचालन और रखरखाव के लिए दिनांक 05.06.2021 को उत्तराखंड जल संस्थान (यूजेएस) को सौंप दिया। इस समय, यह परियोजना यूजेएस के पर्यवेक्षण में है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), भारत सरकार के 02 अधिकारियों की एक टीम को जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए साइट पर तैनात किया गया था। इस टीम ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया, स्थानीय लोगों/राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, पहली घटना दिनांक 19.07.2023 को सुबह जल्दी हुई, जब एसटीपी में मुख्य इलेक्ट्रिक पैनल में उच्च वोल्टेज के कारण आग लग गई और एसटीपी ऑपरेटर का एक कर्मचारी की करंट लगकर मृत्यु हो गई। दूसरा हादसा सुबह करीब 11:30 बजे हुआ, जब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक कर्मचारी द्वारा अनजाने में बिजली की लाइन को सक्रिय कर दिया गया था, जब पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर कुछ स्थानीय लोगों के साथ दुर्घटना की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे।

राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई, जैसा कि उनके द्वारा सूचित किया गया है, निम्नानुसार है:

i. जिला मजिस्ट्रेट, चमोली द्वारा प्रामाणिक जांच का आदेश दिया गया था और एडीएम चमोली को जांच करने के लिए कहा गया था।
ii. चमोली पुलिस स्टेशन में धारा 304 आईपीसी और धारा 13/31 खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम के तहत एफआईआर नंबर 29/23 दर्ज की गई थी।
iii. मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये और घायलों को 1.0 लाख रुपये दिए गए हैं।
iv.सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखंड सरकार ने सभी एसटीपी, जल आपूर्ति पंपिंग इकाइयों और इसी तरह के अन्य प्रतिष्ठानों में सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार ने दिनांक 20 जुलाई, 2023 के पत्र संख्या 3881/पीएस-सीएस/2023 के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में सभी विद्युत सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया है।
v. राज्य सरकार के दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

एनएमसीजी द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई:

i. दिनांक 19.07.2023 को महानिदेशक, एनएमसीजी की अध्यक्षता में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई थी। जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए एनएमसीजी के 02 अधिकारियों की एक टीम को साइट पर तैनात किया गया था।
ii. महानिदेशक, एनएमसीजी द्वारा दिनांक 20.07.2023 को एनएमसीजी के तहत सभी परियोजनाओं के रियायतग्राहियों और एसपीएमजी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) का आयोजन किया गया ताकि उन्हें कार्य स्थलों और प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर संवेदनशील बनाया जा सके। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में 500 से अधिक लोग शामिल हुए।
iii. महानिदेशक, एनएमसीजी ने एसपीएमजी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बनाए गए सीवरेज अवसंरचना के कार्यों और अन्य परिसंपत्तियों में विद्युत सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने और सुरक्षा ऑडिट के संबंध में एडवाइजरी जारी की है।

iv. एनएमसीजी ने विभिन्न निवेशों की आयोजना, डिजाइन, निर्माण और संचालन चरणों के दौरान उचित उपायों के माध्यम से सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के प्रबंधन के लिए एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ईएसएमएफ) तैयार किया है जैसे कि निम्नलिखित:

- पर्यावरण और सामाजिक ऑडिट: पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं के संबंध में ऑडिट और प्रशिक्षण वार्षिक रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक 44 परियोजनाओं का ऑडिट किया जा चुका है।
- व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा ऑडिट (ओएचएसए): ओएचएसए अक्टूबर 2021 से जनवरी 2022 तक 9 अत्यधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं अर्थात बिहार में 6, उत्तर प्रदेश में 2 और पश्चिम बंगाल में 1 में किया गया है।
- वार्षिक राष्ट्रीय ओएसएचए कार्यशालाएं: वार्षिक राष्ट्रीय ओएसएचए कार्यशालाएं दिनांक 17.06.2022 को दिल्ली में और दिनांक 12.06.2023 को पटना में आयोजित की गई थी। इन कार्यशालाओं के दौरान ऑनसाइट प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
- पर्यावरण और सामाजिक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट: वर्ष 2021-22 के दौरान सात रिपोर्टें तैयार की गई हैं।
- पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन कार्य योजना: ईएसएमपीएस का उपयोग उन सभी परियोजनाओं के लिए तैयार किया जाता है जिनके लिए वर्ष 2021-2023 से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत निधि की मांग की जाती है।
- दिनांक 20 जुलाई, 2023 को महानिदेशक, एनएमसीजी की अध्यक्षता में व्यावसायिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा ऑडिट/ईएसए पर एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय "प्रचालनाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में प्रमुख जोखिम और शमन कार्यनीतियां" था।

(च): देश भर में जल विद्युत स्थलों पर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

i. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 177 के तहत, विद्युत मंत्रालय ने सभी वोल्टेज वाले विद्युत प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीईए (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2023 अधिसूचित किए हैं। इसके अलावा, बिजली का करंट लगने की घटनाओं को रोकने और विद्युत सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, हर साल दिनांक 26 जून को राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी सप्ताह को राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताह (एनईएसडब्ल्यू) के रूप में मनाया जाता है।
ii. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान सीईए द्वारा 37 विद्युत सुरक्षा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया और सीईए द्वारा विद्युत उपयोगिताओं और उद्योगों के संचालन और रखरखाव कर्मियों के लिए मौजूदा वर्ष अर्थात अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 में 24 विद्युत सुरक्षा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
iii. संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण के लिए तंत्र/प्रक्रिया मौजूद है।

*****